भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 836

25 जुलाई, 2023 को उत्तर के लिए नियत

"इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये राजसहायता"

836. श्री एस. रामलिंगम:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रति यूनिट इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) राजसहायता को एक्स फैक्ट्री कीमत के 40 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया है और यदि हां, तो प्रति यूनिट ऐसी राजसहायता कम करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने प्रति यूनिट राजसहायता को 15 प्रतिशत तक कम करने के निर्णय पर पहुंचने के लिए अन्य हितधारकों के साथ कोई पूर्व परामर्श किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उपभोक्ता के लिए प्रति यूनिट लागत में वृद्धि को कम करने के लिए कोई कदम उठाया है, जिससे ईवी अपनाने में बड़ी गिरावट आ सकती है, जिससे पूरा उद्योग प्रभावित होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन क्षेत्र की खुदरा बिक्री के आंकड़ों में उल्लेखनीय गिरावट को कम करने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(ङ) पिछले छह महीनों के दौरान इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) और (ख)**:** जी, हां। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन बाजार की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए फेम इंडिया स्कीम, चरण-II के तहत प्रति यूनिट इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी को 40% से घटाकर एक्स-फैक्ट्री मूल्य का 15% कर दिया है। इसे 16.05.2023 को ई-दुपहिया के मूल उपकरण विनिर्माताओं के साथ हितधारकों की परामर्श बैठकों और फेम इंडिया स्कीम, चरण-II के लिए परियोजना कार्यान्वयन और संस्वीकृति समिति के अनुमोदन के पश्चात लागू किया गया है।

(ग) और (घ): भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों की लागत को कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों के व्यापक अंगीकरण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं-:

i. **भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम इंडिया):** सरकार ने शुरूआत में कुल 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से 1 अप्रैल, 2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए फेम इंडिया स्कीम के दूसरे चरण को अधिसूचित किया। फेम-इंडिया स्कीम, चरण-II के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीद मूल्य में अग्रिम छूट के रूप में प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

ii. **ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम:** सरकार ने 15 सितंबर, 2021 को वाहनों के घरेलू विनिर्माण को सहायता प्रदान करने के लिए 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए पीएलआई स्कीम को स्वीकृति दी। इस पीएलआई स्कीम में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं।

iii. **उन्नत रसायन सेल के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम**: सरकार ने 12 मई, 2021 को 18,100 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से देश में उन्नत रसायन सेल के विनिर्माण के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम को स्वीकृति दी। इस स्कीम में 50 गीगावाट घंटे के लिए देश में एक प्रतिस्पर्धी उन्नत रसायन सेल बैटरी विनिर्माण केंद्र स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

iv. इलेक्ट्रिक वाहनों पर वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) 12% से घटाकर 5% और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जर/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दी गई है।

v. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की है कि बैटरी से चलने वाले वाहनों को हरे रंग की लाइसेंस प्लेट दी जाएगी और उन्हें परमिट लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

vi. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर राज्यों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर पथकर माफ करने की सलाह दी है जिससे इलेक्ट्रिक वाहन की शुरुआती लागत को कम करने में मदद मिलेगी।

(ङ): ई-वाहन पोर्टल (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) के अनुसार, विगत छह माह के दौरान पंजीकृत इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों की राज्य-वार विस्तृत सूची **अनुलग्नक** में है।

***

अनुलग्नक

ई-वाहन4 के अनुसार वर्ष 2023 में अद्यतन स्थिति तक विगत छह माह के दौरान पंजीकृत इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों के राज्य-वार आंकड़े

क्र.सं.	राज्य का नाम	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई(21-07-2023 तक)	कुल योग
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	1	0	0	0	0	1
2	आंध्र प्रदेश	2,684	2,908	3,518	3,527	4,374	1,004	920	18,935
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	1	0	0	1
4	असम	142	190	221	178	282	177	116	1,306
5	बिहार	987	911	1,302	971	1,537	520	411	6,639
6	चंडीगढ़	172	216	362	126	209	135	76	1,296
7	छत्तीसगढ	1,923	1,874	2,189	1,560	2,515	1,252	986	12,299
8	दिल्ली	3,285	2,800	3,782	2,738	4,977	1,789	1,278	20,649
9	गोवा	662	628	837	698	874	534	388	4,621
10	गुजरात	5,873	6,759	7,791	8,268	9,624	4,019	3,813	46,147
11	हरियाणा	706	702	714	802	1,053	408	95	4,480
12	हिमाचल प्रदेश	78	65	91	96	118	59	27	534
13	जम्मू और कश्मीर	115	147	198	212	258	166	69	1,165
14	झारखंड	655	652	797	682	839	390	256	4,271
15	कर्नाटक	9,969	10,268	13,067	9,714	17,329	7,786	5,822	73,955
16	केरल	4,668	5,559	6,773	4,661	7,387	4,026	2,467	35,541
17	लद्दाख	1	0	0	0	14	2	1	18
18	मध्य प्रदेश	2,443	2,358	3,214	1,958	3,949	1,695	1,294	16,911
19	महाराष्ट्र	13,802	12,071	17,078	12,260	20,587	8,454	6,593	90,845
20	मणिपुर	7	14	3	15	10	4	6	59
21	मेघालय	4	2	1	3	7	1	19	37
22	मिजोरम	10	9	10	8	14	4	6	61

23	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	1	1
24	ओडिशा	2,533	2,551	3,269	2,847	3,727	2,131	1,685	18,743
25	पुदुचेरी	197	177	261	157	382	140	113	1,427
26	पंजाब	590	609	805	376	1,181	534	281	4,376
27	राजस्थान	4,624	4,661	6,376	3,912	6,910	3,260	2,462	32,205
28	तमिलनाडु	5,506	6,701	8,388	6,509	10,330	4,719	3,772	45,925
29	त्रिपुरा	8	20	23	19	65	8	5	148
30	दादर और नगर हवेली तथा दमण और दीव	9	16	5	5	4	5	3	47
31	उत्तर प्रदेश	1,952	1,968	3,561	3,091	4,712	1,946	1,429	18,659
32	उत्तराखंड	447	426	587	524	682	324	257	3,247
33	पश्चिम बंगाल	632	814	1,103	918	1,508	462	340	5,777
कुल योग		64,684	66,076	86,327	66,835	1,05,459	45,954	34,991	4,70,326

***